



# BETHEL ACADEMY

## NOTICE

आदरणीय अभिभावक,

आपको सविनय सूचित हो कि स्थानांतरण प्रमाणपत्र (TC) के नियमों में इस वर्ष कई बदलाव सरकार द्वारा किये गए हैं। उसमें सबसे ज़रूरी बदलाव ये है कि, किसी भी TC को जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित (counter signature) होना अनिवार्य है।

ऐसा न होने की स्थिति किसी भी विद्यालय को दूसरे विद्यालय से आये विद्यार्थियों को प्रवेश देने का अधिकार नहीं होगा।

ऐसी स्थिति में यदि आप अपने बच्चे की TC विद्यालय से प्राप्त करना चाहेंगे तो आपको विद्यालय की उस सत्र की पूरी शुल्क जमा करनी होगी। या उसी कक्षा में उसी विद्यालय में पुनः अध्ययन करना होगा।

अतः आपसे निवेदन है कि आप विद्यालय कार्यालय से सम्पर्क कर स्थिति की जानकारी ले लें। विद्यार्थी के भविष्य के लिए अच्छा होगा।

सधन्यवाद।